|  |
| --- |
| भारत सरकार |
| आर्थिक कार्य विभाग |
| वित्‍त मंत्रालय |
| **राज्‍य सभा** |
| **अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 673** |
| (जिसका उत्‍तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाने वाला है) |
|  |
| **जाली नोटों के प्रचलन में बढ़ोत्तरी होना** |

|  |  |
| --- | --- |
| **673.** | **श्री मोहम्मद अली खान:** |

|  |  |
| --- | --- |
| क्‍या **वित्‍त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि: | |
|  |  |
|  | क्या जाली नोटों के प्रचलन में 400 प्रतिशत तक की खतरनाक दर से बढ़ोत्तरी हो रही है; |
|  | यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं; और उसके क्या कारण हैं; और |
|  | राज्य सरकारों के साथ मिलकर भविष्य में जाली नोटों के ऐसे प्रचलन को रोकने हेतु क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं? |

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)**

(क) और (ख): भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास परिचालन में जाली करेंसी नोटों की बढ़ोत्‍तरी के संबंध में कोई अनुमान नहीं है।

(ग): जाली भारतीय करेंसी नोटों की समस्‍या के बहु-आयामी पहलुओं से निपटने के लिए, विभिन्‍न एजेंसियां जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्‍त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, केंद्र और राज्‍यों की सुरक्षा एवं आसूचना एजेंसियां, केंन्‍दीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) आदि एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि जाली भारतीय करेंसी नोटों के अवैध क्रियाकलापों को रोका जा सके। इन एजेंसियों के कार्य की आवधिक समीक्षा इस उद्देश्‍य के लिए गठित नोडल समूल (एफसीओआरडी) द्वारा की जाती है। एफसीओआरडी (एफआईसीएन समन्‍वय प्रकोष्‍ठ) विश्‍व में जाली भारतीय करेंसी नोटों के चलन/तस्‍करी के संबंध में सभी उपलब्‍ध जानकारी/आसूचना का समन्‍वय/आदान-प्रदान करता है और उसका विश्‍लेषण करता है। कार्यात्‍मक स्‍तर पर, राज्‍यों से समन्‍वय के लिए केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो को नोडल एजेंसी के रूप में घोषित किया गया है तथा राजस्‍व आसूचना महानिदेशालय को इस प्रयोजनार्थ अग्रणी आसूचना एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण अधिनियम द्वारा राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण (एनआईए) को इस समस्‍या से निपटने के लिए इस प्रकार के अपराधों की जांच करने तथा अभियोजन चलाने की शक्‍तियां प्रदान की गई हैं। सरकार ने आतंकवादी वित्‍त-पोषण तथा जाली करेंसी के मामलों की जांच पर ध्‍यान देने के लिए 2010 में राष्‍ट्रीय अन्‍वेषण अभिकरण में आतंकवादी वित्‍तपोषण एवं जाली करेंसी प्रतिषेध प्रकोष्‍ठ (टीएफएफसी) की स्‍थापना भी की है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा जाली नोटों की पहचान किए जाने से संबंधित तंत्र को भी सुदृढ़ किया है।

\*\*\*\*\*\*\*